UPSP100038382022

Presented on : 16-07-2022
Registered on : 16-07-2022
Decided on : 01-07-2026
Duration : 3 years, 11 months, 16 days

न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द, सहारनपुर।

आसमीन बनाम जीशान आदि।
मु.अ.सं.–55/2020
अं.धारा–498ए, 323, 504 भा.दं.सं., ¾ दहेज प्रति.अधि. व ¾ मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम
थाना नागल सहारनपुर।

01.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली एफ.आर. निस्तारण हेतु नियत है।

प्रार्थीया/वादिया मुकदमा आसमीन द्वारा प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थीया उपरोक्त मुकदमे की वादिया है, उपरोक्त मुकदमे में दौरान विवेचना हम पक्षकारगण के मध्य राजीनामा हो गया था राजीनामे के आधार पर पुलिस द्वारा उक्त मुकदमे में अन्तिम आख्या प्रेषित कर दी गयी है। ऐसे दशा में पुलिस द्वारा प्रस्तुत अन्तिम आख्या को स्वीकार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया/वादिया मुकदमा आसमीन ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना एफ.आर. स्वीकृत हेतु अपने बयान मय शपथपत्र में यह अंकित किया कि उक्त मुकदमे में पुलिस थाना नागल द्वारा न्यायालय में अन्तिम आख्या प्रेषित कर दी गई है जिसको स्वीकार किये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्तुत मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

विवेचक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम आख्या सं.–28/2020 सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या–55/2020 धारा 498ए, 323, 504 भा.दं.सं., ¾ दहेज प्रति.अधि. व ¾ मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम स्वीकार की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(आशीषानन्द)
सिविल जज (जू.डि.)/जे.एम.
देवबन्द, सहारनपुर
जे.ओ.कोड यू.पी. 3698